

UG study material for students of History

Subject : History

class : B.A. Part II (Hons.)

Paper : III

Topic : यूजी की प्रशासनिक व्यवस्था-I

By : Dr. Rajiv Nayan
Associate Professor,
Deptt. of History,
Jagjivan College, Ara.

चौलों की प्रशासनिक व्यवस्था - I

लगभग 400 वर्षों तक चौलों ने दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। इनकी उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। विद्वानों के अनुसार पुल, चोलम्, चौर तथा कोल शब्द से 'चोल' की उत्पत्ति हुई है, परन्तु अन्य लोग इसके लक्ष्य नहीं हैं। 'चोल' पुल से निकला हुआ प्रतीत होता है; क्योंकि इसका अर्थ शिर ध्वजा अथवा झंडा होता है। इसमें संदेह नहीं कि चोल पुराने राजवंश के थे; क्योंकि कात्यायन, अशोक के दण्डिलेख और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। चोलराष्ट्र या चोलमंडल पेंनर और वेल्मारु नदियों के बीच पूर्वी तमिऴनडु पर स्थित था जिसकी प्राचीन राजधानी त्रिचनापल्ली के पास उरगापुर (उरैयूर, वरियूर) था।

उत्पत्ति संबंधी मतभेद जो भी हो, विभिन्न पुरातात्विक (अण्डिलेख आदि) एवं साहित्यिक स्त्रोतों से ज्ञात है कि चौलों ने एक सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसमें केन्द्र का शक्तिशाली नियंत्रण होने के साथ ही स्थानीय स्वशासनाधिकार भी बड़ी मात्रा में सुरक्षित किए गए। इस शांति एवं सुव्यवस्था के कारण ही चौलों के अतीत सांस्कृतिक प्रगति की वह अविरोध धारा प्रवाहित हुई जिसने कई अखिल भारतीय प्रतिमान

स्थापित करने के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया को भी प्रभावित किया। नीलकंठ शाहनी मिरान हैं, 14-15वीं सदी में निर्माणात्मक क्षमता होने के साथ ही एक कुशम प्रशासक के भी सभी गुण मौजूद थे। उन्होंने उस समय जिल ग्रामीण स्वशासन तंत्र का निर्माण किया, उसकी उपयुक्तता आज भी लचीली है।"

पिछले युग की तरह ही इस युग में भी सरकार का स्वरूप वंशगत राजतंत्र था। राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का पूर्ण दायित्व राजा पर होता था जिसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य दृष्टा करते थे। उत्तराधिकारी के भ्रगड़े भी होते थे, किन्तु सामान्यतः राजवंश के सबसे बड़े लड़के को उत्तराधिकारी के दायित्व का सम्मान होता था और राजा के शासन काल में ही युवराज का मनोतपन कर दिया जाने से भ्रगड़े की संभावना और कम हो जाती थी। चौलों का राज्याभिषेक लमारी ह तंजौर, गंगकोंडई चोमपुरम्, चिदम्बरम् तथा कभी-कभी कांचीपुरम् में होता था।

राजा मौरिक आदेशों (जिखवाक्य के ली) के द्वारा अपना कार्य-सम्पादन करते थे। किन्तु, इन आदेशों को प्राप्त करने और उन्हें कार्यान्वित करने से पहले एक विस्तृत कार्य-प्रणाली का पासन किया जाता था। चौल राजा प्रधान न्यायालय (ओलई)

के अनिश्चित अपने साथ निकट से वकी के रूप में कार्य-सम्पादन में समाप्त होने के लिए सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि मंत्रियों को रखते थे जो 'उडुनकुट्टम' कहमानी थी।

चौथे प्रशासन तंत्र एक ऐसी जटिल नेकरशाही थी जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी भरे पड़े थे। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग जैसा था जो दो श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी 'परुन्दनम्' और निम्नस्तर श्रेणी 'शिरुदनम्' कहमानी थी। सरकारी पद अक्सर कुल परम्परागत होते थे तथा नागरिक और धार्मिक सेवाओं में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भर्ती की प्रणाली अथवा प्रोन्नति-संबंधी नियमों के बारे में जानकारी अपूर्ण है।

चौथे के समय में उद्योग-धंधों, आंतरिक तथा बाह्य व्यापारों, कृषि उत्पादनों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कुलतुंग प्रथम ने भूमि की माप (नाप) कराची। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कृषि-उत्पादन का एक तिहाई भू-राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इतना ही नहीं, कृषि-भूमि की किस्मों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन तथा भू-राजस्व का पुनर्विचारण किये जाने का भी इल्लैख सिद्ध है। सीमा-शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवसाय तथा धंधों पर लगाए गये करों से राज्य को आमदनी होती थी।

तत्कालीन अभिमेरवों में कई प्रकार के करों का उल्मेरव मिमता है - तरिडुरिच, शौकककरिची, लेडिरची, तत्रारपाट्टम, बलिमायम, इपायम, इडुवरि इत्यादि। करों की वसूली में कभी-कभी कठोरता भी बरती जाती थी। प्रशासन में सामंती ढाँचे के बढ जाते हैं जनसाधारण (विशेष रूप से कृषिकर्मी लोगों) पर कर-भार का बढना स्वाभाविक था। पाल प्रशासन में भूमिदान की प्रक्रिया अटिलतर होती चली गयी। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विभिन्न संबंधित विभागों के लखिवाँ, करों के अधिकारिचों तथा जिमा-हतर के कर्मचारिचों आदि के द्वारा भूमि-हस्तांतरण की कार्यवाही की जाती थी।

पाल राज्य (राज्यम) प्रांतों (मंडलम) में विभाजित होते थे। साधारणतया आठ या नौ मंडलम प्रत्येक राज्य में होते थे। प्रत्येक मंडलम 'वालयानाडु' या जिमा में विभक्त था। ये जिमे ग्रामों के लघूह में विभाजित होते थे जो भिन्न-भिन्न ल्यानों पर 'कुरम', 'नाडु' अथवा 'कोट्टम' कहलाते थे। कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े ग्राम का शासन एक इकाई के रूप में होता था और यह 'तनियूर' कहलाते थे। लघु नीचे अनेक स्वशासित ग्राम होते थे।

(4)